Maharishi Sansthan

From: "Maharishi Sansthan" <mict@maharishi.net>
Date: Saturday, June 3, 2023 6:07 PM
To: <cm@mp.nic.in>
Attach: CP MP LETTER FROM SRM.pdf
Subject: Request letter from SPIRITUAL REGENERATION MOVEMENT FOUNDATION OF INDIA

SPIRITUAL REGENERATION MOVEMENT FOUNDATION OF INDIA

(Society registered under the Societies Registration Act 1860, Vide Reg. No. S-2366 of 1963)
Reg. Office Address 121, 1st Floor, DLF, Galleria, Mayur Vihar, Phase-1, Delhi-110091
Admin. Off: Vatta B Block, Arogyadham, Maharishi Nagar, Noida, Gautam Budh Nagar, U.P.-201304
Telephone No. 0120- 2461364, 2461365, Email: mict@maharishi.net

सेवा में, दिनांक : 03/06/2023

श्री शिवराज सिंह चौहान
माननीय मुख्यमंत्री
मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल, म0प्र0।

विषय :- **स्प्रीच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट फाउडेशन ऑफ इण्डिया की भूमि जो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित है, को आपराधिक एवं शरारती व्यक्तियों के द्वारा अनाधिकृत रूप से विक्रय किये जाने से रोकने के सम्बन्ध में प्रशासनिक निर्देश समस्त जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा पंजीयन अधिकारियों को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

स्प्रीच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट फाउडेशन ऑफ इण्डिया (एस.आर.एम.फाउडेशन ऑफ इण्डिया) एक पंजीकृत सोसाइटी है, जिसकी पंजीयन संख्या- एस-2366 वर्ष 1963 है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय- 121 प्रथम तल, डी.एल.एफ गलेरिया, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली-110092 में स्थित है तथा प्रशासनिक कार्यालय - वाता बी ब्लाक, आरोग्य धाम महर्षि नगर, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0-201304 में स्थित है।

यह सोसाइटी पूज्य महर्षि महेश योगी जी के दैवीय निर्देशन एवं चैरिटेबुल तथा शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु स्थापित की गयी है जिसकी गतिविधियॉ पूरे भारत वर्ष में विभिन्न स्थानों पर संचालित है। इस सोसाइटी के द्वारा मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु भूमि क्रय की गयी थी। जिस पर अनेक शैक्षणिक एवं चैरिटेबुल कार्य संचालित किये जा रहे हैं।

माननीय महोदय, ग्राम मानेगॉव (घुटिया) जिला जबलपुर, म0प्र0 में स्थित हमारे सोसाइटी की भूमि जिसका क्षेत्रफल 11.96 हेक्टेअर है को दिनांक 04/03/2023 को फर्जी कागजातों के आधार पर रंजीत प्रताप भाई मिस्त्री पुत्र प्रताप भाई मिस्त्री निवासी 304, कृष्णा हेरिटेज, सी.एच.एस. लिमिटेड, लिंक रोड, डानबास्को शाला, समोर, एम.एच.बी. कालोनी, बोरीवली वेस्ट, महाराष्ट्र, अवधेश पाण्डेय पुत्र गया प्रसाद पाण्डेय निवासी मकान नं0 139, ग्राम पंचायत तिखारी, घुटिया, हर्रई, जिला जबलपुर, म0प्र0 एवं अजेत प्रताप सिंह पुत्र बीरेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी मकान नं0 1025, दुर्गा कालोनी, संजीवनी नगर, गढ़ा, वीर सावरक वार्ड, जबलपुर, म0प्र0 की मिलीभगत से अवैध रूप से विक्रय कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करने का निवेदन किया जा रहा है।

इसी प्रकार जिला दमोह, म0प्र0 में लढनबाग, बालाकोट रोड, तहसील दमयन्ती नगर, जिला दमोह में हमारी सोसाइटी की 4.03 हेक्टेयर की भूमि असीम कुमार तिवारी, निवासी भोपाल, म0प्र0, रियाजुल लतीफ, निवासी विलासपुर, छत्तीसगढ़ तथा रंजीत प्रताप भाई मिस्त्री एवं अवधेश पाण्डेय की मिली भगत से अवैध रूप से बेचने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः ऐसे अवांछनीय व्यक्तियों के द्वारा किये जा रहे दुष्प्रयासों को रोकने के लिए यह अनिवार्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से एक संदेश सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं पंजीयन अधिकारियों को प्रेषित किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत यह स्पष्ट निर्देश हो कि आध्यात्मिक, चैरिटेबुल एवं शैक्षणिक संस्थाओं की जमीनों के विक्रय के पूर्व अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए।

यह भी निर्देश दिया जाना चाहिए कि इन संस्थाओं के वर्तमान पंजीकृत पते पर इस प्रकार के विक्रय से पूर्व ही समस्त जानकारी प्राप्त कर लेने तथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाने के पश्चात् ही किसी प्रकार के विक्रय की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

माननीय महोदय से यह भी निवेदन है कि यदि सम्भव हो तो शैक्षणिक, आध्यात्मिक एवं चैरिटेबुल संस्थाओं की जमीनों के विक्रय/बन्धक/पट्टा/अन्तरण इत्यादि के पूर्व लिये जाने वाली प्रशासनिक सतर्कता के सम्बन्ध मे एक अध्यादेश म0प्र0 शासन के द्वारा जारी किया जाय जिससे इन संस्थाओं के हितों की सुरक्षा की जा सके।

अतः उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथा हमारे संस्थान के हितों की सुरक्षा को देखते हुए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जिला जबलपुर एवं जिला दमोह, म0प्र0 के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश प्रदान किया जाना चाहिए जिससे हमारी उपरोक्त वर्णित जमीनों पर अवैध विक्रय के परिणामस्वरूप इन अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा अवैध कब्जा न कर लिया जाये।

इस प्रकरण में संलिप्त सभी व्यक्तियों, अधिकारियों के विरूद्ध जॉच का आदेश देने की भी कृपा करें जिससे इस अवैध विक्रय को निरस्त कराया जा सके।

हमे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश शासन इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर हमारे संस्थान के हितों की सुरक्षा करेगा एवं न्याय प्रदान करेगा।

सधन्यवाद

S.R.M. Foundation of India (S.R.M.)

अजय प्रकाश श्रीवास्तव
महासचिव
स्प्रीच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट फाउडेशन ऑफ इण्डिया
मोबाइल नं0- +91 98 186 34717